जोधपुर
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जोधपुर

क्रमांक : जोडि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० सामान्य/प्रे० 2327 दिनांक 7-1-09

आदेश

निगम आदेश संख्या 1691 दिनांक 12.09.07 के अनुसार आंशिक भूमि के क्रय/बेचान करने की स्थिति में अगले पांच वर्षो तक कृषि कनेक्शनों के नाम परिवर्तन की अनुमति नही दी जाती है। इसी क्रम में विभिन्न जन प्रतिनिधियों, कृषि संगठनों द्वारा उक्त आदेश में संशोधन करने की मांग की गई।

अतः इस सबंध में उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से, निगम आदेश संख्या 1691 दिनांक 12.09.07 में आंशिक संशोधन करने हेतु प्रस्ताव निदेशक मण्डल की दिनांक 24.09.08 को आयोजित बैठक में विचारार्थ हेतु प्रस्तुत किया गया। जिस पर निदेशक मण्डल में चर्चा के पश्चात उपभोक्ताओं के नाम परिवर्तन हेतु निम्न शर्तो के तहत प्रकरण को अनुमोदित किया:–

1. जिन उपभोक्ताओं ने दिनांक 15.08.08 तक नाम परिवर्तन करने हेतु आवेदन कर, आवश्यक जमीन की रजिस्ट्री के कागजात जमा करवा रखे है।
2. इन उपभोक्ताओं से धरोहर राशि के अलावा जुर्माना के रूप में निम्न अतिरिक्त राशि वसूल की जाए:

हार्स पॉवर	दर
(क) 20 हार्स पॉवर तक --	200. रू. प्रति हार्स पॉवर
(ख) 20 हार्स पॉवर से अधिक --	150 रू. प्रति हार्स पॉवर

3. दिनांक 15.08.08 के बाद मे नाम परिवर्तन हेतु जमा होने वाली आवेदन पत्रावलियों पर निगम आदेश संख्या 1691 दिनांक 12.09.07 के प्रावधान यानि नाम परिवर्तन के लिए पांच वर्ष की समयसीमा यथावत लागू रहेगी।

चूंकि उपरोक्त प्रावधान कृषि उपभोक्ताओं को एक बार राहत देने के लिए किया गया है, जो आवेदन दिनांक 15.08.2008 तक नाम परिवर्तन हेतु जमा पत्रावलियों पर ही प्रभावी होगा।

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं आयोजना)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है:–

- अध्यक्ष, डिस्कॉम्स जयपुर
- वित्तीय निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- उप मुख्य अभियन्ता (एम.एम एण्ड टी डब्लू) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- संभागीय मुंख्य अभियन्ता (जो.जोन/बी.जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- मुख्य लेखाधिकारी जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।
- प्रावै.सहायक माननीय प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संधा./सतर्कता/टी.डब्लू/वाणिज्य/एमएमसी/एमएण्डपी/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/बीकानेर/जैसलमेर/[illegible] श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) /उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवं संधा./एम.एम./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/ बीकानेर।